

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

आदेश

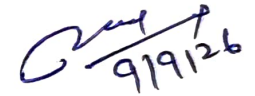
संख्या-1/स्था0 (7) 02/2022 (खंड)-4891/पटना-15, दिनांक-09/09/2026

बिहार राज्य के कई जिले वर्तमान में बाढ़ (आपदा) की गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। अतः विभागीय कार्य हित में पशुधन के बचाव एवं निरोधात्मक कार्यों के सम्यक् निर्वहन हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन) एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपने क्षेत्र/जिलान्तर्गत पशु चिकित्सकों के प्रतिनियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।

पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति में क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन) एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ की स्थिति की गम्भीरता एवं पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता का क्षेत्रवार आकलन कर तदनुसार प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के अन्तर्गत सभी पदाधिकारी अपने-अपने दायित्व निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगें। कर्तव्य में लापरवाही होने पर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश बाढ़ प्रभावित अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगा।

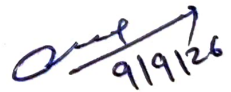


(स्मिता सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/स्था0 (7) 02/2022(खंड)-4891/पटना-15, दिनांक-09/09/2026

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन), बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।